भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3733
जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2020 को दिया जाएगा

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण

3733. श्री अबु हसीम खान चौधरी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का गठन करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निकाय का गठन किस तिथि को किया जाएगा;
(ग) क्या सीसीपीए की संरचना और कार्यकरण से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है;
(घ) यदि हां, तो इस प्राधिकरण के सदस्य कौन व्यक्ति होंगे और सीसीपीए के प्रस्तावित कार्यकरण का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सीसीपीए के पास उपभोक्ता विरोधी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों को अभियोजित करने के संबंध में न्यायिक शक्तियां होंगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सिर्फ एक शिकायत के आधर पर त्रुटिपूर्ण उत्पादों के पूरे बैच को वापस लेने के लिए कानूनी मुकदमा दायर करने का उपबंध होगा; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क) से (घ): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए "केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण" नामक एक कार्यकारी एजेंसी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के कार्यकरण एवं इसकी संरचना से संबंधित नियमों को विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु वेबसाइट पर डाल दिया गया है। नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ड.) से (छ): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जांच करने और अभियोजन आरंभ करने, असुरक्षित उत्पाद और सेवाओं को वापिस लेने का आदेश देने, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने के आदेश देने के अधिकार प्राप्त होंगे और यह भ्रामक विज्ञापनों के विनिर्माताओं, एंडोर्सर्स और प्रकाशकों पर जुर्माना भी लगा सकता है।

*****